

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 3.3.20

संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0 3340/30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अनुशासित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090-920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	121708	महविश फातमा	29	28.01.1994	महिला	04
2	117338	आसिफ नवाज़	121	25.03.1994	पुरुष	04
3	110610	मंजिता कुमारी	640	23.04.1990	महिला	02

- यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
- भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।"
- प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियुक्ति पत्र में अंकित सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

8. उक्त नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में प्रतिवेदित उनके विरुद्ध न्यायालय में लंबित मुकदमा रहने के आलोक में भविष्य में उक्त मुकदमें के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। उक्त मुकदमें के फलाफल से इस विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।
9. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 3340 / पटना-15, दिनांक 3.3.20
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 3340 / पटना-15, दिनांक 3.3.20
प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय आदि से संबंधित प्रमाण-पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लिया जाय। किसी तरह की विसंगति पाये जाने की स्थिति में विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 3340 / पटना-15, दिनांक 3.3.20
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 3340 / पटना-15, दिनांक 3.3.20
सभी नवनियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

श्री/श्रीमती

पिता/पति का नाम

ग्राम/मो0

पो0

जिला

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपना योगदान समर्पित करें।

फोटोग्राफ

सरकार के उप सचिव।